इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2012—चैत्र 1, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. 7757-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 21 मार्च 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१२

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१२

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २० का संशोधन.

२. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६३ (क्र. १२ सन् १९६३) की धारा २० में, शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "वह मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा १५-ग के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालय सेवा का सदस्य होगा", के स्थान पर, शब्द "वह किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय के अपर संचालक से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी होगा" स्थापित किये जाएं.

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में कृषि विश्वविद्यालय को प्रभावी रूप से चलाने की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि इस विश्वविद्यालय का कुल सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का कोई अनुभवी अधिकारी हो. अतएव, यह प्रस्तावित है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६३ (क्र. १२ सन् १९६३) की धारा २० में यथोचित संशोधन किया जाये जिससे कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय के अपर संचालक से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुल सचिव हो सके.

२ अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १४ मार्च, २०१२.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2012—चैत्र 2, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 1797-105-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 7 of 2012.

THE JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Jawaharlal Nehru Krishi Viswavidyalaya Act, 1963.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Jawaharlal Nehru Krishi Viswavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 20.

2. In Section 20 of the Jawaharlal Nehru Krishi Viswavidyalaya Act, 1963 (No. 12 of 1963), for the words, figures, letter and bracket "he shall be a member of the State University Service constituted under section 15-C of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973)", the words "he shall be an officer not below the rank of Additional Director of Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to efficiently run the Agriculture University in the State, it is necessary that the Registrar of such University should be an experienced officer of the Farmer Welfare and Agriculture Development Department. Therefore, it is decided to make suitable amendment in Section 20 of the Jawaharlal Nehru Krishi Viswavidyalaya Act, 1963 (No. 12 of 1963) so that the Registrar of the Jawaharlal Nehru Krishi Viswavidyalaya, Jabalpur shall be an officer not below the rank of Additional Director of the Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 14th March, 2012.

DR. RAMKRISHNA KUSMARIYA
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.